FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड न्यायालय [illegible] मुकाम [illegible]

रायसिंह वगैरा बनाम ताजाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा.का. 111,128 अधिनियम 193/2021 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/07/2021	प्रार्थी ~~/वादी/अपीलांट~~ के वकील श्री मण्डाराम सारण ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/अपील धारा 111,128 ~~राजस्थान काश्तकारी~~/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी ~~/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट~~ जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 23/08/2021 को पेश हो। [signature] (SDO) [illegible] बाड़मेर	
24/08/2021	अवकाश होने से पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-1 से 4, 7 से 12, 14 से 16 व 19, 20 के नोटिस तामील शुदा व विप्रार्थी संख्या 5, 6 व 17 के नोटिस हस्ब तामील तथा विप्रार्थी संख्या-13 व 18 के नोटिस पर फौत होना लिखा गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 14/10/2021 को पेश हो। [initials]	

14/10/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। अभिमत पीठा-सीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक -09/02/2022 को पेश हो।

09/02/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी संख्या- 5, 6,17 के नोटिस पूर्व में मय तामील प्राप्त हुए तथा विपक्षी संख्या-13 व 18 के नोटिस पर फौत होना लिखा गया। कोविड के कारण कोर्ट नहीं लिया गया। अभिमत पीठा-सीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 27/04/2022 को पेश हो।

27/04/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा विपक्षी संख्या-5, 6, 17 के नोटिस पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तथा प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र विपक्षी संख्या-13 का नाम विलोपित करने जो फौत हो चुके हैं जिनके कब्जा कुकार विपक्षी संख्या-12 पूर्व में रिकार्ड पर है तथा विपक्षी संख्या-18 को मुलबंश पत्रावली में पक्षकार बनाया गया है जो प्रार्थी के खेत का सेढा पड़ोसी नहीं है जिसका नाम विलोपित किया जावे। साथ ही संशोधित विवरण पेश किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया

सहायक [illegible] (SDO)

जिला [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विपक्षी संख्या-13 व 18 का नाम विलोपित किया जाना है व संशोधित शिर्षक रेकर्ड पर लिया जाना है अतः विपक्षी संख्या-5,6 व 17 के नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 08/06/2022 को पेश हो/ [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर (SDO) ब्यावर जिला-अजमेर	
08/06/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विपक्षी संख्या- 5,6 व 17 के नोटिस तामिल मय तामिल प्राप्त/ इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 14/06/2022 को पेश हो/ [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर (SDO) ब्यावर जिला-अजमेर	
14/06/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षी संख्या- 5,6 व 17 के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया/ विपक्षी संख्या- 5,6 व 17 बावजूद तामिल गैरहाजिर जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है प्रार्थी के अधिवक्ता की एडमिशन बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत शामिल लगे आये हुए है खेतों के मध्य जो पुराने मार्ग व डोल आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से मिट गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है/ खेत की सीमाओं को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाव बना रहता है/ प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करने हेतु नेपमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर (SDO) ब्यावर जिला-अजमेर	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया ~~जाकर~~ जावें व नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश किया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमिश्नर रिपोर्ट जमा करावें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 955 दिनांक : 14/06/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. रायसिंह पुत्र निम्बाराम वगैरा 04, जाति जाट, निवासी बांकनाडी, पटवार मण्डल बायतु पनजी, तहसील बायतु (बाड़मेर)		1. ताजाराम पुत्र लाधाराम वगैरा 20, जाति जाट, निवासी बांकनाडी, पटवार मण्डल बायतु पनजी, तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 193 / 2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – बांकनाडी, पटवार मण्डल – बायतु पनजी, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 637, 639, 693 / 605, 754 / 693, 759 / 639, 760 / 693, 761 / 693, 762 / 693, 806 / 639, 807 / 639, 604, 763 / 693, 755 / 637, 756 / 693, 757 / 693, 758 / 693 रकबा क्रमशः 1.2944, 0.1456, 1.9416, 3.0580, 0.8171, 1.1326, 0.8090, 3.0580, 0.0647, 0.5582, 0.1052, 3.0418, 1.4319, 1.1326, 0.8090, 3.0580 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता

(SDO)

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 14/06/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 956-960

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बायतु पनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री रायसिंह पुत्र निम्बाराम वगैरा 04,
4. विप्रार्थी श्री ताजाराम पुत्र लाधाराम वगैरा 20,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिड़ा / नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला बाड़मेर